अनुदान संख्या 7 – रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग
GRANT No. 7–DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–			58,35,00	48,76,32	–9,58,68
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					9,55,96
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	250,85,00		447,30,00	387,44,59	–59,85,41
पूरक	Supplementary	196,45,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					59,85,41

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	550.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–550.00			
मुख्य शीर्ष ''2852'' उद्योग	Major Head "2852" Industries				
मू.	O.	4676.00	4246.75	4245.46	–1.29
पु.	R.	–429.25			

(I) 552.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से 550.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "2552'' - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान'' के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर व्यय को पूरा करने के लिए संबंधित कार्यात्मक शीर्षों से पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का उपयोग किए जाने तथा व्यपगत न होने वाले पूल को अंतरण किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(II) मुख्य शीर्ष "2852'' - "रसायन एवं औषध निर्माण उद्योग - रसायन तथा कीटनाशक'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (दावा कार्यवाही) अधिनियम 1985''- 100.36 लाख रु. की बचत (445.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) न्यायिक मामलों का निपटान किए जाने के लिए कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस रिसाव त्रासदी के कार्यालय के स्टाफ में कमी किए जाने के कारण हुई।

(खा) "कीटनाशक प्रतिपादन प्रौद्योगिकी संस्थान को अनुदान''- 191.50 लाख रु. की बचत (358.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर योजनागत प्रावधान में समग्र कटौती किए जाने और पिछले वर्षों के अव्ययित शेष उपलब्ध होने की वजह से कम निधियां जारी किए जाने के कारण हुई।

(गा) "रसायन संवर्धन और विकास योजना''- 227.61 लाख रु. की बचत (240.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मेगा रासायनिक औद्योगिक संपदा से संबंधित निर्माण कार्य पूरा न होने और संशोधित अनुमान चरण पर योजना प्रावधान में समग्र कटौती किए जाने के कारण हुई।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 64.48 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 20 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "2852'' - 'पेट्रो रसायन उद्योग - अन्य व्यय - केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 139.83 लाख रु. का अधिक व्यय (1338.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी

(I) Provision of Rs. 552.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads; of these Rs. 550.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2552"-"Other Expenditure-Lumpsum provision for North Eastern Region and Sikkim"- due to utilisation of funds by re-appropriation for meeting expenditure on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim from the concerned functional heads and transfer to non-lapsable pool.

(II) Under Major Head "2852"-"Chemicals and Pharmaceuticals Industries-Chemicals and Pesticides"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of claims) Act, 1985"- saving of Rs.100.36 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 445.00 lakhs) was due to reduction in staff in the office of the Welfare Commissioner, Bhopal Gas Leak Disaster to dispose of court cases.

(B) "Grant to Institute of Pesticides Formulation Technology"- saving of Rs. 191.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 358.00 lakhs) was due to overall cut in Plan provision at revised estimates stage and less release of funds owing to availability of unspent balance of previous years.

(C) "Chemical Promotion and Development Scheme"-saving of Rs. 227.61 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.240.00 lakhs) was due to non-completion of works relating to Mega Chemicals Industrial Estate and overall cut in the Plan provision at revised estimates stage.

(III) Under one head saving of Rs.64.48 lakhs occurred constituting 20 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly offset by excess under Major Head "2852" – "Petro-Chemical Industries – Other Expenditure – Central Institute of Plastics Engineering and Technology" – excess of Rs.139.83 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1338.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552"

के योजना खर्च को पूरा करने के लिए मुख्य शीर्ष " 2552'' से निधियों के पुनर्विनियोग के कारण हुआ।

to meet Plan expenditure of the Central Institute of Plastics Engineering and Technology at Guwahati.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (5985.41 लाख रु.) अगस्त 2003 में प्राप्त किए गए 19645.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 30 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.5985.41 lakhs) constituted 30 percent of the supplementary grant of Rs.19645.00 lakhs obtained in August, 2003 and 13 percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईः-

Savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "6857'' रसायन तथा औषध निर्माण उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6857" Loans for Chemical and Pharmaceutical Industries				
मू.	O.	24782.00			
पू.	S.	19645.00	38507.59	38507.59	. .
पु.	R.	–5919.41			

(I) 3.00 लाख रु. का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs. 3.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads.

(II) "दवा तथा औषध निर्माण उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज'' के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(II) Supplementary grant obtained under "Drugs and Pharmaceutical Industries – Loans to Public Sector and other Undertakings" remained unutilised under the following heads to the extent shown against each:-

(का) "भारतीय दवा तथा औषध निर्माण लि.''- 21122.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 12135.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 33257.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 4054.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा जिसके परिणामस्वरूप स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम की निधियों में बचत, लंबित पड़े कार्य को निपटाने तथा संयंत्र एवं मशीनरी के अनुरक्षण के लिए अत्यल्प स्टाफ के रूप में लगभग 500 कर्मचारियों को सेवा में बनाए रखने के कारण हुई।

(A) "Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited" – the original provision of Rs.21122.00 lakhs was augmented to Rs.33257.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.12135.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.4054.00 lakhs – resulting in saving of VRS funds due to retention of around 500 employees as skeleton staff to attend the pending work and maintenance of Plant and Machinery.

(खा) ''हिन्दुस्तान एंटीबायटिक लि.''- 300.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 694.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 994.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो संशोधित अनुमान चरण पर योजना प्रावधान में समग्र कटौती किए जाने के कारण 100.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(गा) ''बंगाल इम्यूनिटी लि.''- 342.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 4590.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 4932.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम से संबंधित भुगतान की अंतिम लेखापरीक्षा के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम का विकल्प लेने वालों को देय 10% राशि को रोके रखने के कारण 556.45 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) ''रसायन तथा कीटनाशक उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइडस लि.''- 1000.00 लाख रु. की बचत (1550.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के संबंध में कर्मचारियों की ओर से पर्याप्त अनुकूल प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(खा) ''हिन्दुस्तान जैव रसायन लि.''- 175.00 लाख रु. की बचत (775.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर योजना प्रावधान में समस्त कटौती किए जाने के कारण हुई।

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत 100.00 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 40 प्रतिशत थी।

(B) "Hindustan Antibiotics Ltd." – the original provision of Rs.300.00 lakhs was augmented to Rs.994.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.694.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.100.00 lakhs – due to overall cut in Plan provision at revised estimates stage.

(C) "Bengal Immunity Limited" – the original provision of Rs.342.00 lakhs was augmented to Rs.4932.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.4590.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.556.45 lakhs – due to retention of 10% money payable to the VRS optees after the final Audit of VRS payment.

(III) Under "Chemicals and Pesticides Industries- Loans to Public Sector and Other Undertakings" - savings occurred under the following heads:–

(A) "Hindustan Insecticides Limited"- saving of Rs. 1000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1550.00 lakhs) was due to inadequate response from employees for VRS offered.

(B) "Hindustan Organics Chemicals Limited"- saving of Rs. 175.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 775.00 lakhs) was due to overall cut in the Plan provision at revised estimates stage.

(IV) Under one head saving of Rs.100.00 lakhs occurred constituting 40 percent of the sanctioned provision.